राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2750–एक/014 जिला –भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.10.2015	आवेदक की ओर से श्री एम0पी0 भटनागर अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 254–एक/2014 आदेश दिनांक 2.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2750–एक/15 के तथ्यों पर आवेदक पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.6.15 से किया जा चुका है ।	

म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2—अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

क्रि/27750/F/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मोती महल ग्वालियर म.प्र. ।

प्र. क्रं. / 15, पुनर्विलोकन

राजेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह जाति गुर्जर उम्र 41 वर्ष धन्धा सर्विस नि. ग्रामआरौली तेह. गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.

दिनांक 22-8-15 को श्री एम० पी० भटनागर अधि० द्वारा प्रस्तुत/

22-8-15

बनाम

1, साहब सिंह उम्र 60 वर्ष
2, परशुराम सिंह उम्र 55 वर्ष
3, महेन्द्र सिंह उम्र 50वर्ष
4, राजेन्द्र सिंह उम्र 53 वर्ष
} पुत्रगण जनक सिंह

5, विजय सिंह उम्र 48वर्ष समस्तजाति गुर्जर नि.ग्राम आरौली थाना गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.

M.P. Bhatnagar Adv.

पुनि विलोकन राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर के प्र.क्रं. 254/ I /014 में पारित आदेश दिनांक 2,6,015 से दुखित होकर धारा51 म.प्र.भू.रा. संहिता के तहत।

======x======

श्रीमान् जी,

सेवा में हम पुनर्विलोकन करतागण की पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न तथ्य व आधारो पर प्रस्तुत है। कि :=

// पुनर्विलोकन के तथ्य //

====x====

॥1॥ -यह कि वादग्रस्त भूमि क्रं. 764 रकबा 6 बीघा 18 विश्वा नबीन नम्बर 1086 ,1087 ,1159, 1160 , बने विवादित ग्राम आरौली तेहसील गोरमी जिला भिण्ड में स्थित है।

॥2॥ -यहकि विवादित भूमि मुरली पुत्र उदल सिंह से जर्ये विक्रय पत्र